उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या–244/ix-1/2023-195/2004 टी0सी0

देहरादूनः दिनांक 03 मार्च, 2023

अधिसूचना संख्या–243/ix-1/2023-195/2004 टी0सी0, दिनांक 03 मार्च, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली, 2023 की अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या–243/ ix-1/2023-195/2004 टी0सी0

देहरादूनः दिनांक 03 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 वर्ष 2003) की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (संशोधन) नियमावली, 2023 है। (2) यह नियमावली, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 4 के शीर्षक में संशोधन	2	उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 के शीर्षक "राहत की हकदारी" के स्थान पर "राहत की हकदारी एवं राहत राशि का वितरण" रख दिया जाएगा।
नियम 4 संशोधन	3	मूल नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित नया उपनियम (3) रख दिया जाएगा, अर्थात– **जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि दुर्घटना में अर्न्तग्रस्त वाहन सार्वजनिक सेवायान है तथा राहत के लिए हकदार व्यक्तियों की पहचान स्थापित की जा चुकी है, तत्काल नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन राहत राशि का वितरण हकदारों के पक्ष में कर देगा।**
नियम 8 (3) का संशोधन	4	मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 8 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात– **वर्तमान नियम** / **प्रतिस्थापित नियम** **स्तम्भ–1**: (3) परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के 15 दिवस के भीतर रूपये 25–25 लाख की धनराशि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के निर्वतन पर, इस निधि से सम्बन्धित राहत राशि वितरण के लिये, रखी जायेगी। **स्तम्भ–2**: (3) परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के 15 दिवस के भीतर रूपये **50–50 लाख की धनराशि इस निधि से सम्बन्धित राहत राशि वितरण के लिये प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखी जायेगी।**
नियम 8 (6) का संशोधन	5	मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 8 के उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात– **वर्तमान नियम** / **प्रतिस्थापित नियम** **स्तम्भ–1**: (6) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट **स्तम्भ–2**: (6) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट

		जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुयी हो, नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन राहत के लिये व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो। उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर राहत के लिये हकदार व्यक्तियों को सुनिश्चित करते हुये उपनियम (4) के अन्तर्गत खोले गये खाते से तत्काल आर्थिक सहायता वितरित करेगा।	जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुयी हो, दुर्घटना के कारणों की पहचान करने तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सुझाव प्राप्त करने के निमित्त यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायेगा जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो।
नियम 8 (8) का संशोधन		मूल नियमावली के स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 8 के उपनियम (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात–	
		वर्तमान नियम स्तम्भ–1	प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
		(8) किसी जनपद के जिलाधिकारी से मांग प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा उक्त निधि से ऐसी धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी को पुनः आवंटित की जायेगी कि जिलाधिकारी के बचत खाते में न्यूनतम रूपये 25 लाख की धनराशि बनी रहे।	(8) किसी जनपद के जिलाधिकारी से मांग प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा उक्त निधि से ऐसी धनराशि संबंधित जिलाधिकारी को पुनः आवंटित की जायेगी कि जिलाधिकारी के बचत खाते में न्यूनतम रूपये 50 लाख की धनराशि बनी रहे।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

C:\SBSHT\\Documents\P.K. Verma\Cabinet order\New Cabinate Note_19-07-2017\cabinate note

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no No 243 /195/ix-1/2004 T.C. Dehradun: Dated 03 March, 2023 for general information.

Government of Uttarakahnd
Transport Section -1
No243/ix-1/2023-195/ /2004 T.C.
Dehradun: Dated 03 March, 2023

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (K) of sub rule (2) of rule 28 of the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reform Act, 2003, the Governor is pleased to make the following rules in view of further amend the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund Rules, 2008.

The Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (Amendment) Rules, 2023.

Short Title and Commencement	1	(1) These rules may be called 'The Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund (Amendment) Rules, 2023'. (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.	
Amendment of title of rule 4	2	In rule 4 of the Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund Rules, 2008 (here in after refered to as principal Rules), for the heading "Entitlement to Relief", the "Entitlement to Relief and Distribution of Relief Amount" shall be substituted.	
Amendment of rule 4	3	In the Principal Rules after sub rule (2) of rule 4 following sub rule (3) shall be added, namely- The District Magistrate of the district in whose jurisdiction the accident occurred, after ascertaining that the vehicle involved in the accident is a public service vehicle and the identity of the persons entitled for relief has been established, immediately distribute the relief amount under sub-rule (2) of rule 4 in favor of the entitled persons.	
Amendment of Rule 8(3)	4	In the Principal Rules, for the existing sub rule (3) of rules 8 as set out in column I below the rule as set out in column II shall be substituted, namely-	
		Existing Rules **Colum-I**	**Substituted Rule** **Colum-II**
		(3) Within 15 days of coming into force of these rules, an amount of Rs. 25 lakh will be placed on the disposal of the District Magistrate of each district by the Transport Commissioner/ Chairman, Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund, for distribution of relief amount related to this fund.	(3) Within 15 days of coming into force of these rules, an amount of **Rs. 50 lakh** will be placed on the disposal of the District Magistrate of each district by the Transport Commissioner/ Chairman, Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund, for distribution of relief amount related to this fund.

<table>
<tr>
<td>Amendment of Rule 8 (6)</td>
<td>5</td>
<td colspan="2">In the Principal Rules, for the existing sub rule (6) of rules 8 as set out in column I below the rule as set out in column II shall be substituted, namely-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Existing Rules
Colum-I</td>
<td>Substituted Rule
Colum-II</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(6) The District Magistrate of the district in whose jurisdiction the accident occurred shall, for the purpose of ascertaining the entitlement of persons to the relief under sub-rule (1) of rule 4, cause an inquiry to be made by an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, as far as practicable. On receipt of the above investigation report, ensuring the persons entitled for relief, he will immediately disburse financial assistance from the account opened under sub-rule (4).</td>
<td>(6) The District Magistrate of the district in whose jurisdiction the accident took place, shall, as far as practicable, cause an inquiry to be conducted by an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate in order to identify the causes of the accident and to obtain suggestions for preventing recurrence of such accidents in future.</td>
</tr>
<tr>
<td>Amendment of Rule 8(8)</td>
<td>6</td>
<td colspan="2">In the Principal Rules, for the existing sub rule (8) of rules 8 as set out in column I below the rule as set out in column II shall be substituted, namely-</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Existing Rules
Colum-I</td>
<td>Substituted Rule
Colum-II</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(8) On receipt of the demand from the District Magistrate of a district, the Transport Commissioner/Chairman, Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund will re-allocate such amount from the said fund to the concerned District Magistrate that a minimum amount of Rs.25 lakh remains in the savings account of the District Magistrate.</td>
<td>(8) On receiving the demand from the District Magistrate of a district, the Transport Commissioner/Chairman Uttarakhand Road Transport Accident Relief Fund will re-allocate such amount from the said fund to the concerned District Magistrate that a minimum amount of Rs.50 lakh remains in the savings account of the District Magistrate.</td>
</tr>
</table>

By order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

CS&SHT\\Documents\P.K. Verma\Cabinet order\New Cabinate Note_19-07-2017\cabinate note